न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 135/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. शिवलाल पिता महादेव जाट
2. दुदी पुत्री महादेव जाट
3. भोली बेवा महादेव जाट,

निवासी नाथजी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रूकसाना बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर।
2. लालचन्द पिता बद्रीलाल माली निवासी गांगपुर तहसील सहाड़ा।
3. ब्रिजेश कुमार पिता रामगोपाल काकाणी
4. सुरेशचन्द्र पिता भोलाराम रूईया

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

5. नगरपालिका गंगापुर बजरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 24/09/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1343/565 रकबा 0.12 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 116 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1343/565 रकबा 0.12 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी. ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जाता है।** प्रार्थी [illegible] शुल्क राशि 400/– (अक्षरे चार सौ) रूपये मात्र) [illegible] जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 400/– (अक्षरे चार सौ) रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी [illegible] तहसीलदार सहाड़ा/गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)